क्रमांक 2/39/89-2 जी0एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांव मण्डल ।

2. सभी उपायुक्त एवं सभी उपमण्डल अधिकारी, (नागरिक) हरियाणा राज्य ।

3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ।

दिनांक चण्डीगढ़ 1-7-1991

विषय : कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत करने बारे निति मापदण्ड 50% से 70 अच्छी रिपोर्ट करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान परिपत्र क्रमांक 2/10/85-2जी0 एस0-I दिनांक 9-5- की ओर दिलाऊं जिस द्वारा पदोन्नति के लिए पात्रता 50% से 70% अच्छा रिकार्ड निर्धारित की गई थी म कहूं कि उक्त हिदायतों को लागू करने के विरुद्ध कुछ कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर दिए गए निर्णय के दृष्टिगत मामले का सरकार द्वारा पुन: निरीक्षण किया गया है । विचारोपरांत यह निश लिया गया है कि हिदायतें दिनांक 9-5-85 तुरन्त प्रभाव से लागू समझी जायेंगी जिसके अनुसार पदोन्नति के माम का निरीक्षण करने के लिये 10 वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट देखते समय वर्ष 1984-85 तक की रिपोर्टस का प्रतिशत तथा इसके बाद की रिपोर्टस का 70 प्रतिशत अच्छा या इससे अधिक होना आवश्यक है ।

ये हिदायतें पालनार्थ सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के ध्यान में ला दी जायें ।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरक

129

एक प्रति सभी वित्तायुक्त, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है ।

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 2/39/89-2 जी0 एस0-I दिनांक चण्डीगढ़ 1-7-1991